बिन्दु संख्या	बिन्दु	विवरण	
4—	प्रभाग / प्राधिकरण के क्रिया कलापों को सम्पादित करने हेतु निर्धारित प्राविधान नाम	<u>1— पेय जल व्यवस्था</u>	
		1— पेय जल व्यवस्था हेतु निकाय में दो ओबर हैड टेंक तथा चार नलकूप कार्य कर रहे है।	1— नलकूप खराब होने पर तुरन्त ठीक कराया जाना प्रारम्भ करके तीन दिन के अन्दर ठीक कराने की व्यवस्था है।
		2— निकाय में 176 इंडिया मार्का II हैण्डपम्प अधिष्ठापित है।	2— सामान्य खराबी की सूचना प्राप्त होन पर तीन दिन के अन्दर ठीक कराया जाता है।
		3— 1620 जल संयोजन हैं जिसके द्वारा नागरिको को क्लोरीनीकरण के साथ शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जा रही है।	3— जल सयोंजन हेतु आवेदन प्राप्त होन क `पश्चात आवेदन कर्ता द्वारा औपचारिकताओं की पूर्ति करने पर तुरन्त नया जल संयोजन कराने की व्यवस्था है।
		<u>2— मार्ग प्रकाश व्यवस्था</u>	
		1— नगर पंचायत क्षेत्र के अन्तर्गत 300 विद्युत पोल पर सोडियम, टयूब लाइट, बल्ब आदि से मार्ग प्रकाश व्यवस्था के साथ साथ नगर पंचायत के द्वारा अपने लगाये हुए 50 पोलो पर जनरेटर से विद्युत न होने पर सांय 7 बजे से 9 बजे तक प्रकाश व्यवस्था की जाती है	1— विद्युत लाइन मैन द्वारा प्रकाश व्यवस्था का प्रति दिन निरीक्षण किया जाता है। और बल्ब आदि को बदलने की त्वरित व्यवस्था है।
		<u>3— सफाई व्यवस्था</u>	
		1— नगर पंचायत क्षेत्र में 15 वार्ड हैं जिसमे 49 सफाइ कर्मियों द्वारा सफाई की जाती है तथा ट्रेक्टर ट्राली कूड़ा गाड़ी हाथ,गाड़ियों एवं अन्य सफाई उपकरण द्वारा कूड़े का निस्तारण किया जाता है।	1— प्रत्येक वार्ड में नियमित /प्रतिदिन सफाई व्यवस्था में झाडू लगाकर एवं नाली साफ कराकर कूड़ा कचड़ा उठाया जाता है। नागरिक द्वारा विशेष अवसर हेतु प्रार्थनापत्र /शिकायत प्राप्त होने पर तुरन्त सफाई करवाकर चूना डलवाया जाता है।
		<u>4—जन्म—मृत्यु पंजीकरण /प्रमाणपत्र जारी करना</u>	
		1— जन्म मृत्यू की सूचना प्राप्त होने पर पंजीकरण कर प्रमाण पत्र जारी करने की व्यवस्था है।	1— जन्म मृत्यु का पंजीकरण उस स्थान पर जहो वह हुई हो की सूचना 30 दिन के अंदर प्राप्त होन पर 30 दिन में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।
			2— 30 दिन के उपरान्त अथवा 1 वर्ष या उससे अधिक शासन द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार दर्ज करने का प्रावधान

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

5– गृहकर /जलकर निर्धारण एवं वसूली

1– नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 4116 भवन हैं जिनमें कर निर्धारण है उप नियमानुसार सर्वे कर पंचवर्षीय कर निर्धारित किया जाता है। साथ ही जल कर भी लगाया जाता है।

1– नगर पालिका अधिनियम 1916 के अनुसार पंजवर्षीय कर निर्धारण किया जाता है। निकाय में भवनो पर उप नियम मं निर्धारित दरों पर गृहकर/जलकर निर्धारित किया गया है।

6– जलमूल्य निर्धारण एवं वसूली

1– नगर पंचायत क्षेत्र में 1620 जल संयोजन हैं जिसके द्वारा नागरिकों को पेय जल व्यवस्था है।

1– शासनादेश के अनुसार नगर पंचायत तिर्वागंज में रू0 30 /– प्रति माह जल मूल्य का प्राविधान है तदानुसार वसूली की जाती हैं।

7– निर्मित भवनों के मानचित्र की स्वीकृति/दाखिल खारिज करना

1– नागरिको द्वारा अभिलेखों के साथ पार्थनापत्र प्रस्तुत करने पर नवनिर्माण हेतु मानचित्र स्वीकृत/दाखिल खारिज कर निर्धारण सूची एवं मांग वसूली पंजिका में नाम दर्ज करना।

1– मानचित्र स्वीकृत/दाखिल खारिज हेतु प्राप्त अभिलेखों के सम्बन्ध में 30 दिन के अंदर इस्तहार जारी कर आपत्ति / अनापत्ति का निस्तारण कर स्वीकृति /दाखिल खारिज करने का प्रावधान हैं

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com